

(ख) इन राज्यों के कक्ष क्या हैं जिन्होंने गीहत्या कर लोक नहीं बनाई है ?

कृषि और किसानों संभालय में उपखंडी (बी प्रमुखता खेल) : (क) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 15 में पशुओं का संरक्षण, रक्षा और सुधार राज्यों का विषय है। अतः उपखंडन न्यायालय 17A की गई व्याख्या के अनुसार संविधान की धारा 48 के क्रियान्वयन की धीरे राज्यों/सब राज्य क्षेत्रों का ध्यान धारकित किया गया है। फिर भी, इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करने और सरकार को अपनी सिफारिशें देने के लिये एक गोरखा समिति गठित की गई है। समिति के 31 मई, 1976 तक सरकार को अपनी रिपोर्टें देने की आज्ञा है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्टें वेक करने और सरकार द्वारा इनकी सिफारिशों पर निर्णय ले लेने के बाद इस संबंध में उपयुक्त कानून बनाया जाएगा।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में तम्बुओं में चल रहे स्कूल

2013. श्री श्रींकार लाल डेरवा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने स्कूल तम्बुओं में चल रहे हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपखंडी (बी डी० 7० बाइब) : (क) दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

(i) दिल्ली प्रशासन : 64 स्कूल पूर्ण रूप से तम्बुओं में और 97 स्कूल प्रांशिक

रूप से तम्बुओं में, प्रांशिक रूप से तम्बुओं में कार्य कर रहे हैं।

(ii) नई दिल्ली नगर निगम : 5 स्कूल तम्बुओं में कार्य कर रहे हैं।

(iii) दिल्ली छावनी बोर्ड : सभी स्कूल तम्बुओं में कार्य कर रहे हैं।

(iv) दिल्ली नगर निगम : 130 स्कूल पूर्ण रूप से तम्बुओं में और 30 स्कूल प्रांशिक रूप से तम्बुओं में कार्य कर रहे हैं।

(ख) तम्बुओं में स्कूलों के कार्य करने के निम्नलिखित कारण हैं —

(i) भूमि प्राप्त करने में कठिनाईयां।

(ii) स्थानीय निकायो तथा दिल्ली नगर कला आयोग से नक्शो तथा भवन योजनाओं की मजूरिया/पास करने से संबंधित आज्ञा पत्र उपलब्ध करने की औपचारिकताओं को पूरा करने में विलम्ब।

(iii) धनाभाव।

दिल्ली में शंघेजों की मूर्तियां

2014. श्री श्रींकार लाल डेरवा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में शंघेजों की कितनी मूर्तिया प्रब तक लगी हुई हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसाधन-कार्य मंत्री (बी के० रघुवरजीवा) : (क) शंघेजों की सभी प्रतिमाओं को जहां भी वे स्थापित भी वहां से हटा दिया गया था। तथापि, हटाने के बाद इन्हें कहीं न कहीं रखना ही था। इसलिये उन्हें किाबदे पार्क में रख दिया गया था। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन्हें वहां स्थापित कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गेहूँ की खेती वाला क्षेत्र

2015. श्री श्रीकार जाल बेरवा :
क्या कुछ और विचारों की जरूरत है जो खेती की
रूपा बदले कि :

(क) क्या गेहूँ के मुद्दों में कमी होने
के कारण किसानों ने अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में
गेहूँ बोने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उन्होंने सरसों, चना, भलनी,
सोयाबीन आदि की पैदावार करना प्रारम्भ
कर दिया है ; और

(ग) यदि हा, तो इस बारे में सरकार
का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री
(श्री प्रभुदास फडेल) : (क) वर्ष 1975-
76 के दौरान रबी की विभिन्न फसलों की
बुवाई के क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमानित प्रती उपलब्ध
नहीं हुए हैं । तथापि उपलब्ध रिपोर्टों के
अनुसार वर्ष 1974-75 की तुलना में इस
वर्ष के दौरान गेहूँ के अन्तर्गत के क्षेत्र में
वृद्धि होने की आशा है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

Soil Erosion

2016. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) number of States which face huge losses in foodgrains cultivation due to erosion of soil;

(b) steps Government have taken in this regard; and

(c) how far these steps have checked the soil erosion?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF AGRICULTURE AND

IRRIGATION (SHRI SHANAWAZ KHAN): (a) The problems of soil erosion on account of wind and water exist in one form or other in every State of the country. The extent and State-wise distribution of such areas can be estimated only after the whole country is covered by Soil Survey, which work is already in progress;

(b) and (c). The problem of soil degradation is being tackled in the country through the programme of soil and water conservation. It means prevention of all forms of soil degradation by using the soil according to its capability and treating it according to its needs with measures like contour bunding, terracing, gully control, water harvesting, saline-alkaline land reclamation, afforestation and pasture development. The programme of soil and water conservation was initiated right from the beginning of First Five Year Plan period. By the end of 1975-76; 21.90 million hectares are likely to be treated with a total expenditure of Rs. 422.03 crores. Plan-wise details of physical achievements and expenditure are given below:

(Area in million ha and Rupees in crores)

Period	Area treated	Expenditure
1st Plan . . .	0.30	1.60
2nd Plan . . .	1.28	20.36
3rd Plan . . .	4.49	77.42
1966-69 . . .	4.59	86.79
4th Plan . . .	8.19	162.46
1974-75 . . .	1.12	39.27
1975-76 (Tentative)	1.93	34.13
TOTAL . . .	21.90	422.03

During the Fifth Five Year Plan period i.e., 1974-75 to 1978-79, soil and water conservation programmes have been further intensified. During the entire plan period, an area of about 5 million hectares is likely to be covered with a total outlay of Rs. 278.28 crores.